[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- [illegible]

प्रकरण नंबर संख्या :- [illegible]/2018

दर्ज तिथि :- [illegible]2018

फैसला तिथि :- [illegible]2018

वादीगण

1. [illegible]
   1.1 [illegible]
   1.2 [illegible]
2. [illegible]
   2.1 [illegible]
   2.2 [illegible]

   [illegible] जिला पाली (राज.)

   [illegible] जिला [illegible] (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. [illegible] जिला पाली (राज.)
2. राजस्थान सरकार [illegible] सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

उपस्थिति

1. [illegible] अधिवक्ता वादीगण
2. श्री [illegible] अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1
3. सरकारी पैरोकार प्रतिवादी सं. 2

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.)

:: निर्णय :: दिनांक [illegible]2018

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश कर [illegible]

पेज लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

राजस्व लोक अदालत कैम्प वर्ष 2016

राजस्व वाद संख्या 1779/2015 देवाराम बनाम भुराराम

थी। गीगीया की मृत्यु 15 वर्ष पूर्व व दला की मृत्यु 13 वर्ष पूर्व होना मानते हुए वादीगण उनके उत्तराधिकारीयों होने से वाद पेश किया । हाल ख. नं. 573 रकबा 0.29 हैक्टर पर अवैध रूप से विधि विरूद्ध प्रतिवादी सं. दो के कर्मचारियों ने प्रतिवादी सं. एक के स्वर्गीय पिताजी चुन्नीलाल से मिलकर अपना नाम दर्ज करवा दिया। नामान्तरकरण सं. 59 दिनांक 15.02.1971 विधि विरूद्ध होने से शुन्य है, वाद ग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा बताते हुऐ अनुसूचित जनजाति की भूमि को अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम गलत रूप से हस्तान्तरण मान कर प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार दर्ज किया है। प्रतिवादी ने अगस्त 2014 के तृतीय सप्ताह में मौके पर आकर वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी व भूमि आगे से आगे बेचान करने की धमकी दी। वादीगण ने पूर्व में धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया था जो तारीख 22.06.2015 को राजस्व लोक अदालत केम्प 2015 में न्यायालय की अनुमति से विड्रो किया। इस प्रकार वादीगण ने खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा व इन्द्राजदुरुस्ती का वाद पेश किया ।

प्रतिवादी सं. एक ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र में वर्णित भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में कृषि भूमि दर्ज नहीं है। तारीख 18.06.2014 को श्रीमति मीराबाई पत्नि शंकरलाल जी मेघवाल निवासी रोवाडा तहसील शिवगंज जिला सिरोही के नाम 2300 वर्गमीटर यानि 0.23 हे. व तारीख 16.03.2015 को भुराराम पुत्र चुनाजी जाति ढोली निवासी बलवना तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.) के नाम 600 वर्गमीटर यानि 0.06 हे. संपरिवर्तन हो चुकी है जिस आदेश की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में यह भी जाहीर किया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में कृषि भूमि दर्ज नही होकर आबादी में परिवर्तन हो चुकी है तथा आबादी भूमि के प्रकरण सुनने का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय का नही होने से वादीगण का वाद "बार्ड बाइ लॉ" होने से खारिज किऐ जाने की प्रार्थना की ।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी पर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी सं. 1 श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में बताया कि "राजस्व भूमि" से सम्बन्धित प्रकरण राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 की धारा 207 के तहत सुनने व निर्णय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 (24) में लेण्ड (भूमि) की परिभाषा दी गई है "भूमि से अभिप्राय उस भूमि से होगा जो कृषि–कार्यों अथवा तद्धीन अन्य कार्यों या उपवन या चरागाह के लिए पट्टे पर दी जाय या धारण की जाय तथा उसमें भूमि क्षेत्र पर स्थित मकानों या बाड़ों की भूमि अथवा उस पानी से ढकी भूमि सम्मिलित होगी जो सिंचाई के लिए अथवा सिंघाड़ा या तत्समान अन्य उपज उगाने के लिए काम में ली जा सके परन्तु उसमें आबादी–भूमि सम्मिलित नहीं होगी ; उसमें जमीन से संलग्न अथवा जमीन से संलग्न किसी वस्तु से स्थाई तौर पर संबद्ध वस्तुओं से होने वाले लाभ सम्मिलित होंगे "। वकील प्रतिवादी ने बहस के दौरान यह भी जाहीर किया कि वादीगण द्वारा तारीख 15.09.2015 को वाद पेश किया गया है, उसके पूर्व ही वादग्रस्त भूमि तारीख 18.06.2014 को श्रीमति मीराबाई पत्नि शंकरलालजी जाति मेघवाल निवासी रोवाडा,

उपखण्ड अधिकारी

पेज लगातार....3

Scanned by CamScanner

तहसील शिवगंज जिला सिरोही (राज.) एवं तारीख 16.03.2015 को प्रतिवादी सं. 1 भुराराम के नाम आबादी में संपरिवर्तन हो चुकी थी। सपंरिवर्तन आदेश की प्रति भी प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पेश किया जाना जाहीर किया। इस प्रकार जब वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि ही नहीं रही तो उक्त प्रकरण इस न्यायालय के सुनवाई के क्षैत्राधिकार का नहीं है तथा आदेश 7 नियम 11 (घ) सी.पी.सी. के तहत ऐसे वाद जो आबादी भूमि से सम्बन्धित है, वह वाद राजस्व न्यायालय को सुनने के क्षैत्राधिकार से विधि द्वारा वर्जित किया हुआ होने से खारिज होने योग्य है।

वकील वादी ने जाहीर किया कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि दर्ज है तथा इस स्टेज पर यह तय नहीं किया जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है या आबादी परिवर्तित भूमि है, पक्षकारान् की शहादत आदि के बाद ही तय होगा कि वादग्रस्त भूमि आबादी भूमि है या कृषि भूमि जिस कारण यह वाद इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है। साथ ही वादीगण के विद्धान अधिवक्ता ने यह भी जाहीर किया कि नामान्तरकरण सं. 59 दिनांक 15.02.1971 को विधि विरुद्ध रुप से भरा गया है। जो शुन्य है, जिसके तहत् प्रतिवादी सं. एक के पिता को खातेदारी प्राप्त हुई थी वह गलत हुई थी जिस खातेदारी को प्रतिवादी सं. 1 के पिता की मृत्यु के बाद हाल सैटलमेंट के दौरान प्रतिवादी सं. 1 के नाम सैटलमेन्ट कर्मचारियों से मिलावट कर दर्ज करवाया है जो इन्द्राज गलत होने से, इन्द्राज दुरुस्त करते हुऐं वादीगण के नाम खातेदारी की घोषणा करने हेतु यह न्यायालय सक्षम होने से ऐसे वाद के सुनवाई का क्षैत्राधिकार इसी न्यायालय होने से प्रतिवादी सं. 1 का प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की।

उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से प्रश्नगत प्रकरण में जाहिर है कि वादीगण द्वारा मौजा बलवना में स्थिति भूमि खसरा नम्बर पुराने 213 रकबा सवा दो बीघा एक बिस्वा जिसके नया खसरा नम्बर 573 रकबा 0.29 हैक्टर के सम्बन्ध में घोषणा खातेदारी के साथ प्रतिवादीगण के विरुद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद एवं पुराने रेकर्ड से नये रेकर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती का वाद पेश किया है। जिस वाद में मुख्य आधार वर्ष 1971 में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के पिता के नाम दर्ज होना व हाल सैटलमेन्ट सम्वत् 2037 के दौरान प्रतिवादी सं. 1 के पिता के नाम से प्रतिवादी सं. 1 के नाम भूमि दर्ज होना, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरित होना बतातें हुए खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती चाही गई है। जबकि प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत रेकर्ड अनुसार तारीख 18.06.2014 व तारीख 16.03.2015 भूमि खसरा नम्बर 573 को कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ आवासिय ईकाई के रुप में संपरिवर्तन आदेश तारीख 18.06.2014 का खसरा नम्बर 573 रकबा 0.23 हैक्टर का श्रीमति मीराबाई पत्नि शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी रोवाड़ा तहसील शिवगंज जिला सिरोही (राज.) के नाम एवं तारीख 16.03.2015 का खसरा नम्बर 573/1 रकबा 0.06 है. का भुराराम पुत्र चुनाजी जाति ढोली निवासी बलवना, तहसील सुमेरपुर के नाम का जारी किया हुआ है। इससे यह जाहीर है कि वादीगण द्वारा वाद पेश करने के पूर्व ही वादग्रस्त भूमि अकेले प्रतिवादी

पेज लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या 1779/2015 देवाराम बनाम मुराराम

सं. 1 के नाम दर्ज नही रह कर एक श्रीमति मीराबाई पत्नि शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी रोवाड़ा तहसील शिवगंज जिला सिरोही (राज.) के नाम भी खातेदारी दर्ज रही है जिसको इस वाद पत्र में वादीगण ने पक्षकार ही नही बनाया एवं वादग्रस्त भूमि वादीगण द्वारा वाद पेश करने के पूर्व ही आवासिय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन होकर कृषि भूमि से अकृषि आबादी भूमि दर्ज हो चुकी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 (24) के तहत् राजस्व भूमि की परिभाषा में नही आती है। इस प्रकार वादीगण द्वारा आवासिय प्रयोजनार्थ आबादी भूमि के सम्बन्धित भूमि का वाद इस न्यायालय में पेश किया है जो वाद सुनने का क्षैत्राधिकार विधि द्वारा वर्जित है।

लिहाजा प्रतिवादी सं. 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है, वादीगण का वाद खारिज किया जाता है, तदनुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो।

पत्रावली फेसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी * पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 10.06.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner